संख्या-10/620/78-2-2014-168आई.टी./2013

प्रेषक,

जी0एस0 नवीन कुमार,
विशेष सचिव
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. प्रमुख सचिव/सचिव
राजस्व/पंचायतीराज/विकलांग कल्याण/समाज कल्याण/महिला एवं बाल विकास/श्रम/खाद्य एवं रसद/नगर विकास विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ: 03 जुलाई, 2014

विषयः ग्रामीण स्तर पर ई-विलेज योजना लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1656/78/2-2013-168आई.टी./2013 दिनांक 26 नवंबर 2013 (प्रतिलिपि संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा ग्रामीण स्तर पर ई-विलेज योजना को लागू करने के निर्देश दिये गये थे। उक्त योजनान्तर्गत प्रत्येक जनपद में किसी एक ग्राम को चयनित कर उसे ई-विलेज घोषित कराने का निर्णय लिया गया है। इस योजना की प्रगति का अनुश्रवण मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 सरकार द्वारा नियमित अन्तराल पर किया जा रहा है।

2.· इस योजना द्वारा आम जनमानस को विभिन्न शासकीय सेवायें यथा कुटुम्ब रजिस्टर की नकल, जाति, निवास, जन्म, मृत्यु, आय प्रमाण पत्रों, वृद्धावस्था पेन्शन, विधवा पेन्शन,

http://shasanadesh.up.nic.in

विकलांग पेन्शन एवं राशन कार्ड हेतु आवेदन "इलेक्ट्रानिकली ओवर-द-काउन्टर" (**Over-The-Counter**) प्रदान की जायेंगी। इस हेतु चयनित ग्राम का डोर-टु-डोर सर्वे कराकर प्राप्त डाटा को फील्ड लेवल अथॉरिटिज द्वारा सत्यापित किया जायेगा जिसके उपरान्त अप्रूविंग अथॉरिटिज द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग कर प्राप्त डिजिटाईज्ड डाटा को डिजिटली हस्ताक्षरित/प्रमाणित कर उक्त सभी सेवायें ग्रामीण अंचलों में अवस्थापित जनसेवा केन्द्रों द्वारा ई-विलेज वेब बेस्ड एप्लीकेशन का उपयोग कर ओवर-द-काउन्टर प्रदान की जायेंगी। इसी क्रम में जनपद कौशाम्बी द्वारा उक्त योजना से सम्बन्धित समस्त कार्यवाहियां करने के उपरान्त योजना का सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा रहा है। कौशाम्बी प्रदेश का प्रथम जनपद है, जहॉ ई-विलेज-योजना सर्वप्रथम संचालित की जा रही है।

3. प्रारम्भिक चरण में यह योजना ई-विलेज के रूप में एक चयनित ग्राम में क्रियान्वित की जायेगी तदोपरान्त इस योजना का विस्तारीकरण ई-सी.एस.सी. एवं ई-तहसील के रूप में भी किया जाना है। इन सभी कार्यवाहियों को शीघ्र ही पूर्ण करा लिया जाये जिससे कि भविष्य में राज्य स्तर पर रोल आउट होने वाली ई-डिस्ट्रिक्ट योजना को और अधिक लाभ पहुंच सके।

]4- ग्रामीण स्तर पर उक्त योजना द्वारा ई-गवर्नेन्स का लाभ अधिक से अधिक जनसामान्य तक पहुंचाने के उद्देश्य से अन्य सभी जनपदों द्वारा कौशाम्बी माडँल के आधार पर समस्त कार्यवाहियां/प्रक्रियायें तीन चरणों में पूर्ण की जायेगीं जिसका प्रोसेस फ्लो निम्नानुसार होगाः-

(क) डाटा सर्वे एवं परिवार रजिस्टर की विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं का डिजिटाईजेशन:-

1. इस प्रक्रिया के अन्तर्गत चयनित ग्राम की समस्त महत्वपूर्ण सूचनाओं का डिजिटाईजेशन कराना होगा जिसके तहत उक्त ग्राम का डोर-टु-डोर सर्वे कराकर एक नये विकसित प्रारूप (प्रतिलिपि संलग्न) में डाटा को प्राप्त कराना होगा।

2. उपरोक्त प्रारूप ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध परिवार रजिस्टर एवं अन्य महत्वपूर्ण प्रपत्रों की मदद से विकसित किया गया है जिसमें शैक्षिक योग्यता, राशन कार्ड संख्या, वोटर कार्ड संख्या, आधार कार्ड इत्यादि महत्वपूर्ण फील्ड्स सम्मिलित की गयी हैं।

3. ग्रामीण स्तर पर डाटा सर्वे एवं डिजिटाइजेशन से सम्बन्धित कार्यवाहियों को पूर्ण करने हेतु एक सब-कमेटी का गठन किया जायेगा जिसमें मुख्य विकास अधिकारी/अपर

http://shasanadesh.up.nic.in

जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी सम्मिलित होंगे जोकि इस पूरे चरण को पूर्ण कराने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त डाटा सर्वे एवं डिजिटाईजेशन से सम्बन्धित सभी कार्यवाहियों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की होगी।

4. डाटा सर्वे एवं डिजिटाइजेशन के पश्चात उपलब्ध समस्त सूचनायें नियमित अन्तराल में अपडेट की जानी होगीं ताकि यह सूचनायें एक डाटा रिजरवायर की तरह उपलब्ध रहें एवं भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण ई-गवर्नेन्स योजनाओं में भी काम आ सकें।

5. ग्रामीण स्तर पर डाटा सर्वे के उपरान्त उपलब्ध समस्त सूचनाओं का सत्यापन लेखपाल एवं ग्राम सेकेट्री द्वारा किया जायेगा जिसके उपरान्त सूचनाओं को यूनीकोड डिजीटल फारमेट में फीड किया जायेगा। इसके पश्चात प्राप्त डिजीटल सूचनाओं का प्रमाणीकरण वहाँ के सम्बन्धित अधिकारी जिसमें लेखपाल, उपजिलाधिकारी, तहसीलदार इत्यादि सम्मिलित हैं, के द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर का उपयोग कर किया जायेगा।

(ख) ई-विलेज वेब बेस्ड एप्लीकेशन का विकास:-

1. बिन्दु संख्या-4(क) में सम्मिलित समस्त कार्यवाहियों को पूर्ण करने के उपरान्त ई-विलेज योजना हेतु वेब बेस्ड एप्लीकेशन का विकास किया जाना होगा जिसके द्वारा ग्रामीण स्तर पर आम जनमानस को विभिन्न शासकीय सेवायें जिसमें जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कुटुम्ब रजिस्टर की नकल, मृत्यु प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन इत्यादि सम्मिलित हैं, प्रदान की जा सकेगी।

2. जनपद कौशाम्बी में उक्त एप्लीकेशन का विकास लगभग पूर्ण हो चुका है जिसके माध्यम से वर्तमान में कुटुम्ब रजिस्टर की नकल, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र आम जनमानस को उपलब्ध कराये जा रहे हैं। अतः अन्य जनपदों में भी एप्लीकेशन का विकास कौशाम्बी माडँल की तरह किया जा सकता है।

3. उक्त एप्लीकेशन में लॉग-इन करने हेतु सम्बन्धित स्टेकहोल्डर्स जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर, सी.एस.सी. ऑपरेटर और अप्रूविंग/अपडेटिंग अथॉरिटिज इत्यादि सम्मिलित हैं, के लॉग-इन क्रिडेन्शियल विकसित किये जायेगें।

भवदीय,

जी0एस0 नवीन कुमार
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-10/620(1)/78-2-2014 तददिनांक:-

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव, आई.टी. एवं इले. विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, विशेष सचिव, आई.टी. एवं इले. विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. राज्य समन्वयक, सेण्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ.प्र., अपट्रान विल्डिंग लखनऊ।
4. एस.आई.ओ., एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ ।
5. हेड, एसईएमटी, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

महेन्द्र प्रसाद भारती
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in